कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☏ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./जी/2526 धमतरी,दिनांक: 09 /05/2022

प्रति,

परियोजना निदेशक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ब्लाक एफ–5 शिवराज ग्रीन्स,
सिहावा रोड़ धमतरी 493773 (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of 228.0425 ha. of forest land in favour of NHAI PIU DHAMTARIfor Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement inIndia (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661)in the State of Chhattisgarh underBharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661)**
(पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/119866/2021 दिनांक 16/07/2021)

सदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/678 दिनांक 12.04.2022

⊗⊗⊗

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है जो आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण में 30 बिंदुओं के अधिरोपित शर्तो के तहत् सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (iii) ,(iv)(a) एवं (vii) के पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना हेतु जमा की जाने वाली राशि का गणना निम्नानुसार है :–

1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (शर्त क्रमांक iii)	457 हे. X 8,78,787 = रू. 40,16,05,659/– (वर्ष 2022–23 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार रू. 8,78,787/– प्रति हे. की दर से)
2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (शर्त क्रमांक iv(a))	(वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक के अनुसार) धमतरी वनमंडल – रू. 18,67,47,817/– कांकेर वनमंडल – रू. 5,29,44,553/– केशकाल वनमंडल – रू. 5,58,74,350/– **कुल राशि रू. 29,55,66,720/–**
3	वन्यप्राणी संरक्षण योजना (शर्त क्रमांक vii)	रू. 12,09,80,000/– (योजना के अनुसार)
	योग	**रू. 81,81,52,379/–**

अतः आप उक्त राशि कैम्पा मद में 'ई–चालान' के माध्यम से जमा कर चालान की पावती के साथ प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक–पृथक वचन पत्र सहित शर्त क्रमांक (xiv) के पालन में जिला कलेक्टर का वन अधिकार मान्यता वितरण प्रमाण पत्र इस कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

Scanned with CamScanner

वर्तमान में वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन वरिष्ठ कार्यालय से अप्राप्त है, योजना की राशि में वृद्धि होने पर आवेदक संस्थान अंतर की राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है, इस आशय का प्रमाण पत्र पालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित करें। साथ ही शर्त क्र. iii, iv(a), v, vi, vii, viii, ix,x, xi, xiv, xiv, xviii पर विशेष ध्यान देकर पूर्ति करें। शासन या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./जी/2527 **धमतरी,दिनांक:09/05/2022**

प्रतिलिपि :–

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
03. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
04. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. वनमंडलाधिकारी केशकाल वनमंडल केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

Scanned with CamScanner